झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
तृतीय (मानसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.09.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री विनोद कुमार सिंह स०वि०स०	देश में लॉकडाउन के दौरान झारखण्ड के प्रवासी मजदूरों को अपना रोजगार व जान भी गवानी पड़ी है। जिन प्रवासी मजदुरों की लौटने के क्रम में व कार्यक्षेत्र में मौत हुई है, उनके आश्रित आर्थिक रूप से बेहाल है। साथ ही राज्य में कोरोना से अब तक 500 से ज्यादा घोषित मौते हुई है। अन्य राज्यों में मृतकों को मुआवजा दिया गया है। अतः मैं प्रवासी मजदुरों व कोरोना से मृत नागरिकों के आश्रितों को मुआवजा/राहत राशि हेतु सदन की ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन
02-	श्री किशुन कुमार दास स०वि०स०	वित्तीय वर्ष 2018-19 में चतरा जिले के धान क्रय केन्द्र में किसानों के द्वारा बेचे गये धान की राशि का भुगतान जिले के अधिकतर किसान का हो चुका है, लेकिन, मात्र- 48 किसानों का भुगतान अभी तक लम्बित है, जिनकी शिकायत पर उपायुक्त, चतरा ने एक जाँच समिति का गठन किया था। इस जिले के 12 पैक्सों से 46,27,077/- रूपये तथा 08,13,713/- रूपये की राशि राईस मिलों से वसूली	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

01.	02.	03.	04.
		हेतु खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखने के बाद भी बचे हुए मात्र- 48 किसानों का भुगतान आज तक लम्बित है, जिसके कारण किसान दोहरी मार झेलने को विवश है। अतएव किसानों के धान फसल की लम्बित राशि का अविलम्ब भुगतान हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
03-	सुश्री अम्बा प्रसाद स0वि0स0	वर्ष 2004 के बाद सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए पूर्व से चली आ रही पेंशन योजना को समाप्त कर शेयर बाजार पर आधारित नई पेंशन योजना लागू की गई है। इस नई पेंशन योजना के कारण कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर आशंकित है तथा अप्रत्यक्ष तौर पर सरकारी व्यवस्था में इस योजना से भ्रष्टाचार एवं पूँजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मियों को जो पेंशन राशि प्राप्त होती है उससे गुजारा मुश्किल है और कर्मी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि वर्ष 2004 के बाद योगदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने हेतु सदन से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा जाय।	योजना सह-वित्त
04-	श्री सुदिव्य कुमार स0वि0स0 श्री जिगा सुसारन होरो स0वि0स0 श्री दिनेश विलियम मराण्डी स0वि0स0	झारखण्ड राज्य के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों (इंटर कॉलेज, हाईस्कूल, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा) को प्रति वर्ष प्राप्त होने वाली सहायता राशि (अनुदान) को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 से 2019-20 में झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम/नियमावली-2004 एवं 2015 को अनदेखी कर अनुदान आवंटन-	स्कूली, शिक्षा एवं साक्षरता

01.	02.	03.	04.
		करने तथा दो अलग-अलग कोटि सामान्य स्तर के महाविद्यालयों के लिए एवं महिला महाविद्यालय/ 20,000/- से कम आबादी क्षेत्र में अवस्थित/अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुमूल्य क्षेत्र अथवा विकलांग महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग अनुदान का प्रावधान को एक ही तरह का मानते हुए सामान्य कोटि के स्तर से अनुदान आवंटित करने तथा आवर्ती मद (वेतन मद) में से ही 25% राशि अनावर्ती मद (विकास मद) में खर्च करने का प्रावधान करने एवं परीक्षाफल का प्रतिशत को अनुदान आवंटन का आधार बनाने से वित्त रहित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षण एवं गैर शिक्षण कार्य कर रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतएव झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान अधिनियम/नियमावली- 2004 एवं 2015 एवं झारखण्ड राज्य वित्त रहित प्रस्वीकृति नियमावली- 2005 के आधार पर पूर्व की तरह पूर्ण रूप से लागू कराने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	
05-	श्री सुदेश कुमार महतो स०वि०स०	राँची पुरुलिया (राज्य पथ संख्या-01) पथ की स्थिति काफी जर्जर है और लगातार दुर्घटना होती रहती है। साथ ही उक्त सड़क की पर्याप्त मरम्मति एवं मजबूतीकरण पिछले कई वर्षो से नही की गयी है। राँची पुरुलिया पथ (SH-01) है। इसकी लम्बाई 60.00 कि०मी० उक्त सड़क की स्वीकृति दी जा चुकी है। मैं उक्त सड़क इसी वित्तीय वर्ष में मरम्मति एवं मजबूतीकरण पूर्ण करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	पथ निर्माण

राँची,
दिनांक- 22 सितम्बर, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।
कृ०पृ०उ०

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-48/2020-...1657.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/9/20

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/योजना सह वित्त विभाग/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/9/2020

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्र0ध्या0-48/2020-...1657.../वि0 स0, राँची, दिनांक- 21/9/20

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

21/9/2020

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

21.09.20